69

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष - एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 354-दो/2014 - विरूद्व - आदेश दिनांक - 16-1-2014 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 2/2013714 अपील

श्रीमती भागवती वाई पत्नि महाराज सिंह
ग्राम बड़ेरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्व

1- गोपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह लोधी
ग्राम बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
2- चन्द्रपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह लोधी
ग्राम चक बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

--अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 5 - 8 -2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2/2013714 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार चन्देरी के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा

109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की । ग्राम दिनोला स्थित भूमि सर्वे नंबर 216/1/6 राजस्व रिकार्ड में तुरा पुत्र शिवुआ के नाम अंकित है किन्तु चतरा ने यह भूमि विक्रय कर लिखा पढ़ी कर दी है तथा पति के जमाने से उसके कब्जा चला आ रहा है । चतुरा व्दारा बसीयत भी उसके हित में की है इसलिये इस भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार चन्देरी ने बसीयत को अधार पर मानकर प्रकरण कमांक 14 अ-6/12-13 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 28-3-2013 पारित करके ग्राम दिनोला स्थित भूमि सर्वे नंबर 216/1/6 रकबा 1.000 हैक्टर पर आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष अनावेदकगण ने दिनांक 11-10-13 को अपील कमांक 2/2013-14 प्रस्तुत की एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने धारा-5 के आवेदन पर उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 16-1-14 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष तहसीलदार के आदेश

दिनांक 28-3-13 के विरूद्ध दि. 16-1-14 को प्रथम अपील प्रस्तुत हुई है अर्थात अपील प्रस्तुत करने में 9 माह 17 दिवस के लगभग विलम्ब हुआ है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये क्षमा किया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पृष्ठ क- 12 से 15 पर संलग्न है जिनके अवलोकन पर पाया गया कि धारा-5 के आवेदन में इस प्रकार का विवरण है:-

" अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार थे किन्तु पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थीगण परिवेदित हुये हैं तथा अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।"

जब अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये गये हैं उन पर तहसील के आदेश सॅसूचना नहीं है तब अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है ।

1. म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - विलम्ब की माफी के लिये आवेदन फाइल - आवेदक को अपने विवाद मात्र से इस आधार पर बंचित नहीं किया जा सकता कि उसका आवेदन परिसीमा से बर्जित है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - विलम्ब की माफी - उदार रूख अपनाया जाना होगा, जब तक कि आवेदन घोर उपेक्षा से अथवा सदभावना के अभाव से ग्रसित न हो।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण कमांक 2/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.1.14 से अपील प्रस्तुत करने में हुये लगभग 9 माह 17 दिवस के विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-1-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर